वाणिज्य अ.ज.– 662

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(वाणिज्य शाखा) CIN – U40109RJ2000SGC016482
विद्युत भवन, माकडवाली रोड, पंचशील नगर, अजमेर
दूरभाष – 0145–2644501, फेक्स – 0145–2644502

क्र./अ.वि.वि.नि.लि./मु.अ. (मुख्यालय.)/अधी.अ.(वा.)/अ.अ.–II/2016–17/प्रे 14 दि: 5/4/17

आदेश

विषयः– विद्युत संबंध के नाम परिवर्तन के मामले में ली जाने वाली राशि के संबंध में।

विद्युत आपूर्ति हेतु शर्ते एवं निबन्धन–2004 के प्रावधानों के अनुसार यदि वास्तविक विक्रय या विरासत द्वारा सम्पति का अन्तरण उपहार या कम्पनी के परिसमापन (Liquidation) के कारण स्वामित्व में कोई परिवर्तन है तो निगम द्वारा एक उपभोक्ता से दूसरे उपभोक्ता को कनेक्शन का अन्तरण (Transfer) अनुमत कर दिया जाएगा। निगम द्वारा औपचारिक स्वीकृति दिये जाने से पूर्व उपभोक्ता उस सेवा के प्रति समस्त बकाया राशि का भुगतान करेगा तथा इस सम्बन्ध में प्रचलित प्रावधानों के अनुसार प्रतिभूति जमा कराएगा।

प्रायः यह देखने में आया है कि क्षेत्रीय अधिकारी नाम परिवर्तन के मामलों में भिन्न – भिन्न राशि वसूल रहे है। इस संदर्भ में यह स्पष्ट किया जाता है कि नाम परिवर्तन के मामले में विद्युत आपुर्ति हेतु शर्ते एवं निबन्धन–2004 के अनुसार वास्तविक विक्रय के मामलों में पात्र आवेदकों से उस विद्युत सम्बन्ध के विरूद्व बकाया राशि एवं धरोहर राशि (कृषि कनेक्शनो के मामलों में रू.15 प्रति एच.पी./माह–2 माह के लिये) वसूलनीय है एवं विरासत द्वारा सम्पत्ति के अन्तरण के मामलों में केवल परिसर के अनुसमर्थन में आवश्यक विधि प्रलेख प्रस्तुत करना होगा एवं कोई अन्य राशि देय नहीं हैं यदि किसी मामले में कोई अतिरिक्त धरोहर राशि एवं अन्य राशि यदि वसूली गई है तों तुरन्त प्रभाव से आवेदको के आगामी बिलों में समायोजित किया जावें।

आज्ञा से

5/4/17
(एन. एल. सालवी)
अति. मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
अविविनिलि, अजमेर